न्यायालय अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1, बरेली
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1870/2026
CNR No.UPBR01-006334-2026

धर्मेन्द्र गिरी उर्फ देवेन्द्र पुत्र हरपाल गिरी,
निवासी नौगंवा पकड़िया, सुनगढ़ी, जिला, बरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ0 प्र0 राज्य **.....विपक्षी/अभियोजन पक्ष**

धारा– 109(1) बी0एन0एस0
थाना–भोजीपुरा, जनपद–बरेली
मु0अ0सं0– 95/2026

दिनांकः– 30.05.2026

थाना भोजीपुरा, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 95/2026 धारा– 109(1) बी0एन0एस0 में अभियुक्त/आवेदक धर्मेन्द्र गिरी उर्फ देवेन्द्र की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

मैंने अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों तथा केस डायरी का परिशीलन किया। अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है तथा उसका कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त किया गया है।

प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनाँक 15.02.2026 को बहवाले रपट सं० 59 समय 21.16 बजे वादी अन्य पुलिस बल मय गाड़ी सरकारी के साथ थाने से वास्ते चेंकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन रवाना होकर गस्त करते हुए ग्राम जादौपुर पहुँचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि जिन बदमाशों ने धौराटाण्डा में लूट की घटना की थी, वे बदमाश कहीं घटना करने वाले हैं तथा नवाबगंज की ओर से एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी से आ रहे हैं। इस सूचना पर अन्य थाना क्षेत्र के अन्य पुलिस बल को ग्राम जादौपुर पर बुलाया गया तथा पुलिस बल मय मुखबिर मसीत की पुलिया पर चेकिंग करने लगे कि कुछ देर बाद एक सफेद रंग की पिकअप नवाबगंज की तरफ से जादोपुर की ओर आती दिखाई दी, मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यही पिकअप है जिसमें बदमाश आ रहे हैं। पुलिस बल द्वारा पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक तेज गति से मसीत से महेशपुर शिवसिंह जाने वाली नहर की पटरी खडंजा पर गाड़ी भगाने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर पिकअप खडंजे के खड़े पेड़ से टकरा गयी तथा उत्तरते हुए कुछ बदमाश चिल्लाते हुए कि पुलिस पीछे पड़ी है, पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे, पुलिस द्वारा अपने बचाव में फायर किये गये जिससे कुछ व्यक्तियों के कराहने की आवाज आयी तथा दूसरा बदमाश पहले बदमाश से बीस कदम दूर जमीन पर पड़ा है। पुलिस द्वारा अन्य दो बदमाशों को घेरघार कर पकड़ लिया गया तथा कुछ बदमाश भाग गये। पहले व्यक्ति ने अपना नाम आसिफ

पुत्र बशीर बताया तथा उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम अकरम अली पुत्र छिट्टू शाह बताया तथा उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तीसरे एवं चौथे ने अपना नाम साहिल एवं शाहिद पुत्रगण आरिफ उर्फ पप्पू बताया जिनके पास से कमशः 1500 एवं 1000 रूपये नकद बरामद हुए। भागे हुए साथियों के नाम आरिफ उर्फ पप्पू पुत्र मिठ्ठू बक्श, सूरज पुत्र नामालुम, मण्डल पुत्र नामालुम एवं देवेन्द्र पुत्र नामालुम बताया।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी/अभियुक्त कानून में आस्था रखने वाला साधारण नागरिक है। प्रार्थी/अभियुक्त को सुनयोजित तरीके से असत्य व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई कार्य नही किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अभियुक्त बी वारन्ट पर जिला कारागार जनपद हरदोई से प्रस्तुत मुकदमें में तलब करके अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त को किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करके दण्डित नही किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत मुकदमें का नामजद अभियुक्त नही है। प्रस्तुत मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट के नामजद अभियुक्त साहिल, शाहिद पुत्रगण आरिफ उर्फ पप्पू व अकरम अली पुत्र छिट्टू शाह की जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश बरेली द्वारा दिनांक 25.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त की जमानत माननीय अवर न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) प्रथम/ए०सी० जे०एम० बरेली द्वारा दिनांक 11.05.2026 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी से किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और प्रस्तुत मुकदमें के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि यह शपथ–पत्र पर प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र बताया गया है। अभियुक्त जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध है। वर्तमान मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना के दौरान पुलिस बल के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आयी और सहअभियुक्तगण के पैर में अवश्य आग्नेयास्त्र की चोट आयी है। सह अभियुक्त साहिल, शाहिद व अकरम अली की जमानत दिनांक 25.03.2026 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1020/2026 स्वीकृत हो चुकी है। सह अभियुक्त आसिफ की जमानत पूर्व में दिनांक 22.04.2026 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1402/2026 स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में मामले में अब तक संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की घटना में भूमिका के दृष्टिगत प्रकरण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की हैं कि आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **धर्मेन्द्र गिरी उर्फ देवेन्द्र** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक को मु० 60,000/–(साठ हजार)/रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ० प्र० राज्य व एक अन्य के मामले में पारित निर्णय दिनोंकित 12.08.2025** के अनुपालन में समान धनराशि के एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर, अभियुक्त की पहचान व पते के सत्यापन के उपरान्त उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.एम.डब्लू.पी. (किमनल) नं0–4 सन् 2021 में पारित आदेश दिनांकितः 01.02.2023 के अनुपालन में जारी पत्र सं० 448/एसएलएसए–06/2021 (ानझीर्घपकमत) दिनांकितः फरवरी 13, 2023 के कम में जमानत आदेश की साफ्ट कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज म.चतपेवदश वजिंतम में करें और यदि सात दिन के अंदर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र एवं रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड यू0पी0 6160
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
बरेली।

दिनांकः 30.05.2026

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.06 10:09:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court